

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

केम्प - अटल सेवा केन्द्र, हुकमपुरा

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 324/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्री सज्जनसिंह पिता सुवालाल लोढ़ा निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रेमसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी राजपुरा तहसील फूलियाकलां
2. श्री रतनदास पिता भगवानदारा साधू निवासी राजपुरा तहसील फूलियाकलां
3. श्री सुरेन्द्रसिंह पिता बावण्डसिंह राजपूत निवासी संतोषपुरा तहसील फूलियाकलां
4. श्री धन्नालाल पिता गोलू कुम्हार निवासी राजपुरा तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 08.06.2016

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम संतोषपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 71 के आराजी नम्बर 367 रकबा 0.29 है०, आराजी नम्बर 369 रकबा 0.42 है०, आराजी नम्बर 370 रकबा 0.35 है०, आराजी नम्बर 373 रकबा 0.45 है० आराजी कुल कित्ता 04 रकबा 1.51 हैक्टयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम संतोषपुरा संवत् 2069 से 2072 तक का अवलोकन किया

उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भौजा संतोषपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 04 एकड़ 1.51 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रुपये (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फेराल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2016 को केम्प अटल सेवा केन्द्र हुकमपुरा पर सुनाया गया।



[Handwritten Signature]
(एम0पी0 नाथक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

[Handwritten Signature]
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

[Handwritten Signature]